भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न** संख्या- 1635
उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

**मोहनलालगंज, उत्तर प्रदेश में शिक्षा योजनाएं**

**†1635. श्री आर. के. चौधरी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किस प्रकार सहयोग कर रही है;
(ख) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा में सुधार के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से कोई संयुक्त पहल की गई है;
(ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के बीच सरकारी शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मोहनलालगंज में कोई स्थानीय हेल्पलाइन/कार्यालय स्थापित किया है;
(ङ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(च) क्या केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत मोहनलालगंज में विद्यालयों के लिए कोई विशिष्ट अवसंरचना विकास परियोजनाएं हैं;
(छ) मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्तमान में कौन-सी प्रमुख शिक्षा योजनाएं लागू की जा रही हैं; और
(ज) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय शिक्षा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) और (ख): केंद्र सरकार शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा, पीएम श्री स्कूल, पीएम पोषण आदि को लागू करती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं और प्रत्येक वर्ष के शुरु में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) तैयार किया जाता है। इन योजनाओं को फिर योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन/अनुमोदन किया जाता है।

(ग) और (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, और उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता दो प्रमुख तरीकों: एक विभागीय संवर्ग को लक्षित करके और दूसरा आम जनता पर केंद्रित करके बढ़ाई जाती है।

विभागीय संवर्ग के लिए राज्य, संभाग और जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और इसके अतिरिक्त, यूट्यूब पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। सरकार सोशल मीडिया, सामुदायिक जुड़ाव और प्रत्यक्ष प्रसार कार्यक्रमों का उपयोग करके एक बहुआयामी दृष्टिकोण भी अपनाती है। अपडेट, पोस्टर, चित्र और वीडियो साझा करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य जन जागरूकता के लिए सामुदायिक स्तर पर अभियान, शिक्षा चौपाल सत्र, समुदाय और अभिभावक अभिमुखिकरण कार्यक्रम और स्कूल स्तर पर सभाएं आयोजित की जाती हैं।

प्रत्यक्ष जानकारी और सहायता के लिए, प्रत्येक जिले में स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) सरकारी शिक्षा पहल, नामांकन प्रक्रियाओं और संबंधित लाभों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

(ङ) से (छ): समग्र शिक्षा- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। यह योजना स्कूल शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से कक्षा XII तक बिना किसी विभाजन के समग्र रूप से देखती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। इस योजना के तहत आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु सहयोग प्रदान की जाती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं और प्रत्येक वर्ष के शुरु में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडबल्यूपीएंडबी) तैयार किया जाता है। इन योजनाओं को फिर योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन/अनुमोदन किया जाता है।

**पीएम श्री-** पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना होता है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना होता है, और पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व भी प्रदान करना होता है। पीएम श्री योजना में पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान से सुसज्जित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल शिक्षण उपकरण आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास पर्यावरण के अनुकूल "ग्रीन स्कूल" बनाते हैं।

पीएम श्री योजना का उद्देश्य पीएम श्री स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और छात्र परिणामों को बढ़ाना है। शैक्षणिक कौशल को बढ़ाने के लिए नियमित शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसमें प्राचार्य, शिक्षक और विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है, आयोजित किए जाने होते हैं। योग्यता-आधारित मूल्यांकन और समग्र रिपोर्ट कार्ड की शुरूआत छात्रों का एक समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करती है। बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, पीएम श्री योजना में पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान से सुसज्जित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, अटल टिंकरिंग लैब्स

और स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल लर्निंग टूल आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास पर्यावरण के अनुकूल "ग्रीन स्कूल" बनाते हैं।

पीएम पोषण - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है । प्रधानमंत्री पोषण योजना का उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना तथा गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है।

(ज): केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 जिसके संकेतकों को प्रगति पर उचित नज़र रखने के लिए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के बाद शुरू की गई नीतिगत पहलों और उपायों के साथ जोड़ा गया है।
- यूडाइज़+: यह साक्ष्य आधारित योजना और निर्णय लेने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़) का एक बेहतर और अद्यतन संस्करण है।
- परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग प्रणाली (प्रबंध) जो एक व्यापक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है, जो रिलीज की स्थिति, अनुमोदित परिव्यय, यूडाइज़ के अनुसार कवरेज, स्कूलवार अनुमोदनों की सूची, स्कूलवार कमी, अनुमोदन के निरस्तीकरण आदि पर नज़र रखती है।
- अवसंरचना और सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए स्कूलों के आवधिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्रों और क्लस्टर संसाधन केंद्रों को सुदृढ़ करना।
- शैक्षणिक प्रणाली की स्थिति की जांच करने और छात्रों की अधिगम उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) किए जाते हैं।
- लेखा परीक्षा तंत्र-सुदृढ़ निगरानी प्रणालियाँ मौजूद हैं, जिनमें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के साथ सूचीबद्ध एक स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा, एक नियमित सीएजी लेखा परीक्षा, समवर्ती वित्तीय समीक्षाओं की एक प्रणाली और राज्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें शामिल हैं। वित्तीय प्रबंधन और खरीद संबंधी मैनुअल भी कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने में राज्यों की सहायता करता है।
- समग्र शिक्षा की सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रति वर्ष 20% सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
- योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए समग्र शिक्षा के प्रत्येक घटक के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई)।
- सामुदायिक स्तर पर निगरानी, जिसमें समुदाय को स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) जैसी अपनी प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि स्कूल प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- हितधारकों के साथ आवधिक बैठकें: शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए शिक्षा सचिवों और राज्य परियोजना निदेशकों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करता है।

******